



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ पूती पुत्र दृगविजय सिंह निवासी ग्राम हीरापुर थाना लहार जनपद भिण्ड म०प्र० द्वारा वादी की बेटी की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना सिरसाकलार में मु०अ०सं० 667/2010 (वाद संख्या - 154/2019) धारा 302 भादवि में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 02.04.2024 को मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ पूती उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



DGC क्रिमिनल लखन लाल
निरंजन



कोर्ट पैरोकार अजय गौतम

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice